(e) if so, the quantum of funds solicited?

THE MINISTR OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) No Sir.

(b) and (c) Does not arise.

(d) No Sir.

(e) Does not arise.

बाल-श्रमिकों संबंधी सर्वेक्षण

1022. **श्री इकबाल सिंह:** क्या श्रम मंत्री 24 फरवरी, 1997 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 222 के किए गए उत्तर की देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में बाल-श्रमिकों के बारे में किए गए सर्वेक्षण के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) बाल श्रम के बारे में उच्चतम-न्यायालय के निर्देश के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 7-8 जुलाई, 1997 को राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि अधिकांश राज्यों/संघशासित सरकारों ने बाल श्रम के बारे में सर्वेक्षण कर प्रथम चरण पूरा कर लिया है। सर्वेक्षण प्रथम चरण में अभिज्ञात किए गए श्रमजीवी बच्चों की संख्या को दर्शाने वाली जनकारी विवरण में दी गयी है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कराये गए सर्वेक्षण में अभिज्ञात बच्चों की संख्या

क्रमांक	राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के नाम	पाए गए बच्चों की संख्या जोखिमकारी	गैर-जोखिमकारी	योग
	औणाचल प्रदेश	24	1095	1119
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	38	38
	आन्ध्र प्रदेश	7866	39113	46979
	बिहार	24879	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	24879
	चड़ीगढ़	0	44	44
	दादर और नगर हवेली	0	0	0
	दमन और दीव	0	0	0
	दिल्ली	0	99	99
	गोवा	35	74	109
	गुजरात*	1417	172	1589
	हरियाणा	7	2813	2820
	हिमाचल प्रदेश*	83	231	314
	जम्मू और कश्मीर	सर्वोच्च न्यायालय से और समय मांगा गया है।		
	कर्नाटक	10782	70354	81136
	लक्षद्वीव	0	0	0
	मध्य प्रदेश*	11259	3521	14780
	महाराष्ट्र*	1029	12959	13988
	मिजोरम			

क्रमांक	राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के नाम	पाए गए बच्चों की संख्या जोखिमकारी	गैर-जोखिमकारी	योग
	अगस्त, 1997 तक पूरा किया जायेगा			
	उड़ीसा	23761	191461	215222
	पांडिचेरी	0	617	617
	पंजाब	91	3523	3614
	राजस्थान	3029	5081	8110
	सिक्किम	0	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	
	त्रिपुरा	11	264	275
	तमिलनाडु	9493	8828	18321
	उत्तर प्रदेश*	14763	16836	31599
	पश्चीम बंगाल	254	15792	16046
	कुल	1,08,783	3,72,915	481698

टिप्पणी: सूचना अनन्तिम है।

*शपथ पत्र दायर नहीं किया गया।

Insurance, Provident Fund and Pensionary Benefits to Beedi Workers

1023. SHRIMTI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:
SHRI BANGARU LAXMAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision for providing insurance, provident fund and pensionary benefits to beedi workers in the country;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) how far Government propose to provide social relief to beedi workers in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There are several schemes like the Employees' Provident Funds Scheme, Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, Employees' Pension Scheme and Group Insurance Scheme which are applicable to the Beedi workers in the country. The Beedi workers are entitled to social security benefits on fulfilling the eligibility conditions prescribed under the respective schemes.

Identitfication and Enumeration of Working Children

1024. SHRI BRATIN SENGUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether identification and enumeration of working children all over the country has been completed;

(a) if so, the details in this regard;

(c) whether the State Governments have filed affidavits in the Supreme Court; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (d) A conference of the State Labour Ministers was held on 7-8th July, 1997 to review the progress of the implementation of the directives of the Supreme Court on child